सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या – 138/2014

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

सणगार कंवर पुत्री भोपालसिह पत्नि सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी नाडी तहसील सावर जिला अजमेर राजस्थान

वादिया

बनाम

1. राजकंवर पुत्री छीतर सिंह पत्नि रामसिंह निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

3. मोहनकंवर पुत्री भोपालसिंह पत्नि अमरसिंह निवासी डोहरिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
4. कानसिंह पुत्र नन्दकंवर पुत्री भोपालसिंह
5. कल्याण सिंह पुत्र नन्दकंवर पुत्री भोपालसिंह
6. लालसिंह पुत्र नन्दकंवर पुत्री भोपालसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण रतवाई तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय **दिनांकः– 10.5.18**

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प घटियाली में पेश हुई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादीया ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीया के पिता की खातेदारी की आराजीयात भूमि वाके ग्राम नाडी तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या 849 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 903 रकबा 0.52 है. खसरा नम्बर 904/6232 रकबा 0.07 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.59 हैक्ट किस्म बा.1 दर्ज खातेदार है। उक्त वादवर्णित आराजीयात में वादीया का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 का 1/4 हिस्सा है। वाद वर्णित आराजीयात वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 3 से 6 की पुश्तेनी आराजीयात है जो इनके पिता, दादा व नाना स्व. भोपालसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज चली आ रही थी। स्व. भोपालसिंह के जीवनकाल में वादवर्णित आराजीयात पर कब्जा भोपालसिंह का ही चला आ रहा था। उनकी मृत्यु पश्चात आराजीयात पर कब्जा काश्त वादीया एव प्रतिवादी संख्या 1 व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण का चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 अपनी बदनीयत से ग्राम पंचायत घटियाली से स्व भोपालसिंह का फर्जी सजरा बनाकर संपूर्ण रकबे को अपने नाम कराना चाहती है एवं वादीया के हिस्से पर जबरन कब्जा करना चाहती है। वादीया को वादवर्णित आराजीयात का 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया है।

वादीया का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पत्रावली में वादीया के अधिवक्ता को तलबाना पेश करने हेतु दिनांक 16.10.2014 से 28.02.2017 तक अवसर दिये गये लेकिन वादीया के अधिवक्ता द्वारा तलबाना पेश नही किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीया के अधिवक्ता द्वारा तलबाना पेश नही करने के कारण एवं तलबी के अभाव में वादीया का वादपत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। *पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।*

निर्णय आज दिनांक 10.5.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गयां।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी